UPSB010025592026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन-राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस.UP1886

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1130/2026

धर्मेन्द्र कुमार सिंह उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र लालमणी सिंह, निवासी-हाउस नम्बर-11 अखरी विशाल नगर कालोनी, थाना रोहनिया कुरूहुआ, जनपद वाराणसी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त **धर्मेन्द्र कुमार सिंह** के विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र बहादुर सिंह एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

2. प्रार्थी **धर्मेन्द्र कुमार सिंह**, मुकदमा अपराध संख्या-447/2026, अं.धारा-303(2), 317(2), 121(2), 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा-3(1)/58/72(6) उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली व धारा-4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम व धारा-3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, थाना राबट्र्सगंज, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में अभियुक्त है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि उक्त मुकदमें में उसकी यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और न ही खारिज हुआ है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। यह कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक सरासर गलत एवं असत्य है। तत्पश्चात् यह कथन किया गया कि मुकदमें में उसे झूठा एवं रंजिशवश फंसा दिया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित सभी तथ्य गलत एवं बनावटी हैं। उसके वाहन से कोई भी अवैध उपखनिज का परिवहन नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह एक सम्मानित व्यक्ति है। वह बिल्कुल निर्दोष है। वह अग्रिम जमानत से छूटने पर जमानत के शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

.....2

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अतुल दूबे खान निरीक्षक ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की सूचना दिया कि दिनांक 26.05.2026 को समय 9.10 पी.एम. पर उसके द्वारा ADM (F/R) एवं SMO सोनभद्र के साथ लोढ़ी टोल प्लाजा के समीप उपखनिज से लदे वाहनों की जांच की जा रही थी, जिसमें वाहन संख्या-यू0 पी0-65 एफ.टी.-6071 को चेक किया गया तो चेकिंग के समय वाहन पर 23 एम.एम. गिट्टी लदा होना पाया गया एवं 18 एम.एम. का वैध परिवहन प्रपत्र निर्गत होना पाया गया। इस प्रकार 5 एम.एम. गिट्टी की रायल्टी की चोरी की गयी जांच के समय मौके पर उपस्थित स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22.05.2026 को समय लगभग 7.00 बजे प्रश्नगत वाहन को रोक कर चेक करने का प्रयास किया गया था, किन्तु उक्त वाहन को एक सफेद कलर स्विफ्ट कार यू0 पी0-64 बी.डी.-7721 एवं अन्य दो कार से कुल पांच अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रश्नगत वाहन यू0 पी0-65 एफ.टी.- 6071 को भगाया गया था। उक्त सूचना से यह स्पष्ट है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध परिवहन कराया जाता है, जिसके उपरान्त उसके द्वारा उक्त वाहन को थाना ले जाने का निर्णय किया गया। थाने ले जाते समय मण्डी गेट के पास पिलर के बीच में पुनः फिर से उक्त वाहन स्विफ्ट कार में बैठे व्यक्तियों द्वारा डम्पर को रोककर मण्डी में ले जाने से रोका गया तथा गाली-गलौज एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। जिसके उपरान्त उसने थाना प्रभारी राबर्ट्सगंज को काल किया जैसे ही उसने थाना प्रभारी को सूचित किया वैसे ही उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मौके से भागने का प्रयास किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति को उसने रोका तो उसने अपना नाम रोहित यादव बताया। रोहित को उसने अपने समीप रोका, किन्तु कुछ समय बाद वह भी भागने में सफल रहा। बाद में थाना प्रभारी की सहायता से स्विफ़्ट कार को थाना तक लाया गया। उक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के वाहन संख्या- UP65FT 6071 को जांच किये जाने पर उसके वाहन में 23 घन मीटर गिट्टी लदी पायी गयी, जबकि मात्र 18 घन मीटर का वैध परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिससे उक्त वाहन द्वारा 05 घन मीटर उपखनिज का अवैध परिवहन करना बताया गया है तथा उक्त गाडी को थाने ले जाते समय मण्डी गेट के पास पिलर के बीच प्रार्थी/अभियुक्त के सहयोगियों द्वारा वाहन स्विफ्ट कार UP64BD7721 के माध्यम से डंपर को रोककर थाने मण्डी में ले जाने की कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हुए रोकने का प्रयास किया गया। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त गाड़ी मालिक है, जिसकी गाड़ी से परमिट के अतिरिक्त गिट्टी ले जाने तथा उसके चालक द्वारा सरकारी

कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है तथा अपराध गंभीर प्रकृति का है। विवेचना अभी प्रचलित है।

8. अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, अपराध कारित करने में प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना मैं पाता हूँ कि प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं हैं। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

-: आदेश :-

प्रार्थी/अभियुक्त **धर्मेन्द्र कुमार सिंह**, की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या-447/2026, अं.धारा- 303(2), 317(2), 121(2), 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा-3(1)/58/72(6) उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली व धारा-4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम व धारा-3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-02.07.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र